न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या– 94/2019 निर्णय दिनांक –31.05.2019

हजारीलाल पिता गंगाराम जाट उम्र 70 वर्ष निवासी इशाकपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

– प्रार्थीगण

//बनाम//

1. रामेश्वर पिता मांगीलाल जी जाति माली उम्र वयस्क निवासी डाक बंगला रोड निम्बाहेडा राज0 ।
2. भागीरथ पिता गंगाराम जी जाट उम्र 60 साल निवासी इशक्काबाद निम्बाहेडा राज0 ।
3. बद्रीलाल पिता गमेर जाति कुम्हार उम्र 55 साल निवासी पेंच तलाई निम्बाहेडा राज0 ।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा इशाकपुरा पटवार हल्का निम्बाहेडा बी. निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 300 की आराजी नं0 20 रकबा 2.3300 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 1000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा इशाकपुरा पटवार हल्का निम्बाहेडा बी. निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा की प्रार्थी की नये खाता संख्या 300 की आराजी नं0 20 रकबा 2.3300 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 31.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.12 16:08:16 IST
Reason: SelfAttested